

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 128/2017

बउनवान

लटूरलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति—माली,
निवासी कोटडा तहसील बारां, जिला—बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक

(अपीलांट)

2. परोकार सरकार

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक— 27.03.2019

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—कोटडा, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 200/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सही ढंग से गौर नहीं किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक मूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन किया गया अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों पर हुए निवेदन किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ रखा है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 948/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 99 रकबा 0.40 है0 ग्राम कोटडा पर पूर्व में मिसल नम्बर 948/13 निर्णय दिनांक 20.12.2013 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 571/14 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

